[2022] 4 एस. सी. आर 870

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 4 एस सी आर।

ए.

टाटा मोटर्स लिमिटेड

वी.

केंद्रीय बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण और अन्य (2012 की सिविल अपील संख्या 6450)

21 सितंबर, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 -धारा 22 (1 ख)-वित्त अधिनियम, 2010-आर. एस. ओ., विजयवाड़ा द्वारा ए. पी. एस. आर. टी. सी. को बेचे जाने वाले वाहनों/बसों के माध्यम से की गई बिक्री अंतर-राज्यीय बिक्री की प्रकृति में थी-इस प्रकार अपीलकर्ता झारखंड राज्य को केंद्रीय बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, हालांकि, बिक्री को स्टॉक हस्तांतरण के रूप में मानते हुए, उसने आंध्र प्रदेश राज्य को उपरोक्त लेनदेन पर कर का भुगतान किया जो उसके द्वारा देय नहीं है-केंद्रीय बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण ने हालांकि लेनदेन को अंतर-राज्यीय बिक्री की प्रकृति में पाया, लेकिन झारखंड राज्य को भुगतान किए जाने वाले कर के खिलाफ उपरोक्त लेनदेन पर भुगतान की गई कर की राशि को समायोजित करने का निर्देश देते हुए कोई परिणामी आदेश पारित नहीं किया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः2010 के अधिनियम के अनुसार,धारा 22 (1 ख) को 1956 के अधिनियम में जोड़ा गया था-धाराओं के उक्त समावेशन से पहले।22(1 ख) ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसके द्वारा अपीलीय प्राधिकरण राज्य द्वारा एकत्र किए गए कर की वापसी के लिए निर्देश जारी कर सकता था, जो उसके द्वारा उस राज्य को देय नहीं माना गया है, या उस राज्य को उस राज्य को वापसी योग्य राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दे सकता था, जिसे उसी लेनदेन पर केंद्रीय बिक्री कर देय है-वर्तमान मामले में, लेनदेन एस को शामिल करने से पहले की अवधि के लिए है।22(1 ख) 1956 के अधिनियम में और आक्षेपित आदेश अपीलीय प्राधिकरण द्वारा धाराओं को शामिल करने से पहले पारित किया गया है।22(1 ख) 1956 के अधिनियम के अनुसार-इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि इसने कोई भी निर्देश जारी नहीं करने में कोई त्रुटि की है जो अब यू/एस के तहत अनुमेय है।22(1 ख) 1956 के अधिनियम की धारा-तथापि, आंध्र प्रदेश राज्य लेन-देन पर अपीलार्थी द्वारा भुगतान की गई केंद्रीय बिक्री कर की राशि को अपने पास नहीं रख सकता है-इसलिए, एस के अनुरूप।

22(1(ख) आंध्र प्रदेश राज्य, अपीलार्थी द्वारा विचाराधीन लेन-देन पर जमा किए गए केंद्रीय बिक्री कर की राशि को झारखंड राज्य को हस्तांतरित करेगा, बशर्ते कि अपीलार्थी उस पर पहले से ही भुगतान किए गए केंद्रीय बिक्री कर की राशि का प्रमाण प्रस्तुत करे-झारखंड राज्य ऐसे लेन-देन पर अपीलार्थी के केंद्रीय बिक्री कर दायित्व के प्रति इसे समायोजित करेगा।

जी.

एच.

870 ए.

871

टाटा मोटर्स लिमिटेड बनाम केंद्रीय बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण और अन्य ए

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2012 की सिविल अपील सं. 6450।

अपील संख्या 330/सी. एस. टी./2008 में केंद्रीय बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिनांक 29.06.2009 के निर्णय और आदेश से।अमर दवे, सुश्री नंदिनी गोरे, सुश्री नेहा खंडेलवाल, मेसर्स करंजावाला एंड कंपनी के लिए सुश्री मानवी रस्तोगी, जेम्स पी. थॉमस,रोहित कुमार सिंह, रवि सागर, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एन. वेंकटरमन, ए. एस. जी., अरिजीत प्रसाद, अरुणाभ चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, वी. सी. भारती, एच. आर. राव, एम. के. मारोरिया, श्रीमती अनिल कटियार, निशे राजन शोंकर, श्रीमती अनु के. रॉय, आलिम अनवर, आशीष झा, सुश्री प्रज्ञा बघेल, जयंत मोहन, कर्मा दोरजी, डेचेन वांगदी लाचुंगपा, सुश्री आद्या श्री दत्ता, अनिरुद्ध महादेवन सेठी, अभय प्रताप सिंह, सुश्री सी. के. सुचरिता, मिलिंद कुमार, सुश्री दीपानविता प्रियंका, मेसर्स कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप, वी. एन. रघुपति, मो. अपजल अंसारी, कमल मोहन गुप्ता, सबरिश सुब्रमण्यम, एम. योगेश कन्ना, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य ए. पांडे, भारत बागला, बी. के. सतीजा, भक्ति वर्धन सिंह, गोपाल सिंह, अशोक कुमार सिंह, अरविंद एस., अब्बास।बी., महफूज ए. नाज़की, पोलांकी गौतम, शेख मोहम्मद हनीफ, टी. विजय भास्कर रेड्डी, के. वी. गिरीश चौधरी, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. अपील संख्या 330/सी. एस. टी./2008 में केंद्रीय बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण, नई दिल्ली (जिसे इसके बाद 'अपीलीय प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित दिनांक 29.06.2009 के विवादित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा, हालांकि आर. एस. ओ., विजयवाड़ा के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (संक्षेप में, 'ए. पी. एस. आर. टी. सी.') को बेचे गए बसों का लेनदेन/बिक्री अंतर-राज्यीय प्रकृति का पाया गया था, लेकिन अपीलीय प्राधिकरण द्वारा झारखंड राज्य को भुगतान किए जाने वाले कर के खिलाफ उपरोक्त लेनदेन पर भुगतान की गई कर की राशि को समायोजित करने का निर्देश देते हुए आगे कोई परिणामी आदेश पारित नहीं किया गया है, मूल अपीलकर्ता-टाटा मोटर्स लिमिटेड ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

जी.

2. हमने सुना है कि अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री अमर दवे, आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री महफूज ए. नाज़की, श्री अरुणाभ चौधरी,

एच.

झारखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एन. वेंकटरमन, भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरिजीत प्रसाद के साथ।

3. शुरू में, यह नोट किया जाना आवश्यक है और यह विवाद में नहीं है कि विचाराधीन लेनदेन के संबंध में, अर्थात्, ए. पी. एस. आर. टी. सी. को बेचे गए वाहनों/बसों के संबंध में आर. एस. ओ., विजयवाड़ा के माध्यम से की गई बिक्री, बिक्री अंतर-राज्यीय बिक्री/ओं की प्रकृति में पाई जाती है।मामले के उस दृष्टिकोण में, अपीलकर्ता-टाटा मोटर्स लिमिटेड झारखंड राज्य को केंद्रीय बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।हालांकि, बिक्री को स्टॉक

हस्तांतरण के रूप में मानते हुए, अपीलार्थी/उसके प्रतिनिधि ने आंध्र प्रदेश राज्य को उपरोक्त लेनदेन पर कर का भुगतान किया था जो आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा देय नहीं है।इसलिए, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा वसूल किए गए केंद्रीय बिक्री कर की राशि को झारखंड राज्य को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है और इसे झारखंड राज्य को भुगतान किए जाने वाले कर की राशि के साथ समायोजित किया जाना आवश्यक है।

4. इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (इसके बाद 'अधिनियम 1956' के रूप में संदर्भित) में धारा 22 (1 बी) को शामिल करने से पहले, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसके द्वारा अपीलीय प्राधिकरण राज्य द्वारा एकत्र किए गए कर की वापसी के लिए निर्देश जारी कर सकता था, जिसे अपीलीय प्राधिकरण द्वारा उस राज्य के लिए देय नहीं माना गया है, या वैकल्पिक रूप से, उस राज्य को उस राज्य को वापसी योग्य राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दे सकता है जिसे केंद्रीय बिक्री कर उसी लेनदेन पर देय है।हालाँकि, वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा, धारा 22 (1 बी) को अधिनियम 1956 में जोड़ा गया है, जो निम्नानुसार हैः

“धारा 22 (1 बी)-प्राधिकरण किसी ऐसे राज्य द्वारा एकत्र किए गए कर की वापसी के लिए निर्देश जारी कर सकता है जिसे प्राधिकरण द्वारा उस राज्य के लिए देय नहीं माना गया है, या वैकल्पिक रूप से, उस राज्य को उस राज्य को वापसी योग्य राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दे सकता है जिसे उसी लेनदेन पर केंद्रीय बिक्री कर देय है।

बशर्ते कि किसी राज्य द्वारा वापस किए जाने के लिए निर्देशित कर की राशि उसी लेनदेन पर अपीलार्थी द्वारा देय केंद्रीय बिक्री कर की राशि से अधिक नहीं होगी।”

जी.

4.1 यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में लेन-देन अधिनियम 1956 में धारा 22 (1 बी) को शामिल करने से पहले की अवधि के लिए है और विवादित आदेश अधिनियम 1956 में धारा 22 (1 बी) को शामिल करने से पहले अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है।इसलिए, यह ए नहीं हो सकता है

एच.

टाटा मोटर्स लिमिटेड बनाम केंद्रीय बिक्री कर अपीलीय प्राधिकरण और अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

यह कहा जा सकता है कि अपीलीय प्राधिकरण ने कोई भी निर्देश जारी नहीं करने में कोई त्रुटि की है जो अब अधिनियम 1956 की धारा 22 (1 बी) के तहत अनुमेय है।

5. हालाँकि, उसी समय, आंध्र प्रदेश राज्य एपीएसआरटीसी को बेचे गए वाहनों/बसों के संबंध में आरएसओ, विजयवाड़ा के माध्यम से किए गए बिक्री के लेनदेन पर अपीलार्थी द्वारा भुगतान किए गए केंद्रीय बिक्री कर की राशि को अपने पास नहीं रख सकता है। इसलिए, अधिनियम 1956 की धारा 22 (1 बी) के अनुरूप, आंध्र प्रदेश राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलकर्ता द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में जमा किए गए केंद्रीय बिक्री कर की राशि को झारखंड राज्य को हस्तांतरित करे, हालांकि, अपीलकर्ता द्वारा विचाराधीन लेनदेन पर पहले से ही भुगतान की गई केंद्रीय बिक्री कर की राशि का प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन, अर्थात्, एपीएसआरटीसी को बेचे गए वाहनों/बसों के संबंध में आरएसओ, विजयवाड़ा के माध्यम से की गई बिक्री, जिसे स्टॉक हस्तांतरण बिक्री के रूप में माना जाता है।उचित सत्यापन के बाद, उपरोक्त लेन-देन के संबंध में अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार भुगतान किए गए केंद्रीय बिक्री कर की राशि को इस तरह के सत्यापन पर तुरंत झारखंड राज्य को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और झारखंड राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह इस तरह के लेन-देन पर अपीलार्थी के केंद्रीय बिक्री कर दायित्व के प्रति इसे समायोजित करे, अर्थात्, एपीएसआरटीसी को बेचे गए वाहनों/बसों के संबंध में आरएसओ, विजयवाड़ा के माध्यम से की गई बिक्री जो अंतर-राज्यीय बिक्री की प्रकृति में पाई जाती है।उपरोक्त प्रक्रिया आज से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

6. वर्तमान अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

दिव्या पांडे

अपील का निपटारा किया गया।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

जी.

एच.